इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 614] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 नवम्बर 2018 —कार्तिक 24, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2018

क्र. एफ-ए-3-39-2018-1-पांच(97).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 2017 सन् 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

संशोधन

ये 23 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

2. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96 के उपनियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा और 23 अक्टूबर, 2017 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(10) माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्तियों को ऐसे प्रदाय प्राप्त नहीं करने चाहिए, जिन पर प्रदायकर्ता ने इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए. 3-74-2017-1-पांच (137), दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 या अधिसूचना क्रमांक एफ. ए. 3-76-2017-1-पांच (139), दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3 उपखण्ड (i) में सा. का. नि. संख्यांक 1321(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 41/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा. का. नि. संख्यांक 1272(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 78/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखण्ड (i) में सा. का. नि. संख्यांक 1299(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2017-सीमाशुल्क, तारीख, 13 अक्टूबर, 2017 के फायदे का उपभोग किया है.".

3. यह अधिसूचना दिनांक 09-10-2018 को प्रकाशित हुई मान्य की जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2018

क्र. एफ-ए-3-39-2018-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-39-2018-1-पांच (97), दिनांक 15 नवम्बर 2018, का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 15th November 2018

No. F A-3-39-2018-1-V-(97).—In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

AMENDMENT

They shall be deemed to have come into force with effect from the 23rd October, 2017.

2. In the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, in rule 96, for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 23rd October, 2017, namely:—

"(10) The Persons claiming refund of integrated tax paid on exports of goods or services should not have received supplies on which the supplier has availed the benefit of this department Notification No. F-A-3-74-2017-1-V(137)- dated 18-10-2017 or notification No. F A-3-76-2017-1-V(139) dated 23-10-2017 or notification No. 41-2017-Integrated Tax (Rate), dated the 23rd October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1321 (E), dated the 23rd October, 2017 or notification No. 78-2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1272 (E), dated the 13th October, 2017 or notification No. 79-2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1299 (E) dated the 13th October, 2017.".

3. This notification shall deemed to have published on 09th October 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.